

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी
पत्रांक-1503 / 33-1 / दिनांक, झांसी, नवम्बर, -22- 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम 1980
उ०प्र० लखनऊ।

विषय- जनपद झांसी में झांसी-बबीना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के कि०मी० संख्या 03-11 तक झांसी-हंसाही से खेलार की सीमा तक दोनों पटरी पर चौड़ीकरण/चार-लेन में प्रभावित 14.80 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं वाघक 945 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु।

संदर्भ - 1. आपका पत्रांक- 844 / 11-सी०-एफ०पी०/यू०पी०/रोड / 39827 / 2019 दिनांक 25.10.2019।

2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक 1619 / 15-1, दिनांक 21.11.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रश्नगत प्रस्ताव में आपके संदर्भित पत्र दिनांक 25.10.2019 द्वारा प्राप्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी द्वारा अपने पत्रांक 1619 / 15-1 दिनांक 21.11.2019 (प्रति संलग्न) से निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय में संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है।

अतः संदर्भित पत्र से विषयक प्रकरण में प्राप्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर संस्तुति सहित अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक

1619 / 15-1 दिनांक 21.11.2019 की छायाप्रति

एवं मूल अभिलेख तीन प्रतियों में।

भवदीय
fush
(ए०के०सिंह) 22.11.19

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या-1503 / समदिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी।

2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन विंग) लोक निर्माण विभाग झांसी को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण से भिन्न किसी अभियन्ता को इस कार्यालय से वांछित संशोधित सूचना प्राप्त कराकर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(ए०के०सिंह)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी